

## मृत्यु दंड में कमी लाने और इसको बढ़ाने की परस्थितियाँ

### प्रलमिस के लयि:

केंद्रीय अनवेषण बयुरो (CBI), 1980, सर्वोच्च न्यायालय, वधिआयोग, भारतीय न्याय संहति, 2023, भारतीय नागरकि सुरक्षा संहति, 2023, UAPA, 1967, NDPS अधनियम, 1985

### मेन्स के लयि:

मृत्यु दंड में कमी लाने और इसको बढ़ाने की परस्थितियाँ, भारत में मृत्युदंड का घटनाक्रम, मृत्युदंड पर न्यायपालकि एवं वधिआयोग की भूमकि

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यो?

कोलकाता के एक न्यायालय ने आरजी कर मेडकिल कॉलेज एवं अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी व्यक्ती को आजीवन कारावास के लयि दण्डादेशति कयि जबकि CBI ने उक्त व्यक्ती को [मृत्युदंड](#) दयि जाने के पक्ष में प्रभावशाली तर्क दयि थे।

- हालाँकि [1980](#) में, [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने अभिपुष्ट कयि कि इस मामले में मृत्युदंड सांविधानकि है कति मृत्युदंड में कमी लाने और इसको बढ़ाने वाली दोनों परस्थितियों पर वधिार करने के बाद इसे "वरिले मामलों में से वरिलतम" माना जाना चाहयि।

## मृत्युदंड की गुरुतकारी और शमनकारी परस्थितियाँ कौन-सी हैं?

- मृत्युदंड: गुरुतकारी (दंड बढ़ाने वाली) और शमनकारी (घटाने वाली) परस्थितियों वे कारक हैं जनि पर न्यायालय, वशिष रूप से मृत्युदंड के मामले में, दंड की गंभीरता तय करते समय वधिार करते हैं,।**
  - गुरुतकारी परस्थितियों की दशा में न्यायालय मृत्युदंड दयि जाने की ओर अग्रसर होता है, जबकि शमनकारी परस्थितियों की दशा में न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दयि जाने की संभावना कम होती जाती है।
- मार्गदर्शक कारक:** सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड कसि दशा में लागू कयि जाना चाहयि, यह नरिधारति करने के लयि वशिषिट गुरुतकारी और शमनकारी परस्थितियों प्रदान नहीं कीं, बल्कि मार्गदर्शक कारकों की एक अपूरण सूची प्रदान की।
  - गुरुतकारी परस्थितियाँ:**
    - यदि हत्या पूर्व नयिोजति, सुनयिोजति और अत्यधिक क्रूरतापूरण हो।
    - यदि हत्या में "असाधारण दुराचारति" शामिल है
    - यदि अभयिक्त, ड्यूटी पर रहते हुए या वैध करतव्यों का पालन करते हुए कसि लोक सेवक, पुलिस अधकिारी या सशस्त्र बल के करमी की हत्या का दोषी है।
  - शमनकारी परस्थितियाँ:**
    - क्या अपराध के समय अभयिक्त अत्यधिक मानसकि या संवेगात्मक वकिषोभ का अनुभव कर रहा था।
    - अभयिक्तों की आयु: यदि उनकी आयु अत्यंत कम अथवा बहुत अधिक है तो उन्हें मृत्युदंड नहीं दयि जाएगा।
    - अभयिक्त द्वारा समाज के लयि नरितर खतरा उत्पन्न कयि जाने की संभावना।
    - अभयिक्त के सुधार की संभावना।
    - यदि अभयिक्त कसि अन्य व्यक्ती के नरिदेश पर कार्य कर रहा था।
    - यदि अभयिक्त को वशिवास हो कि उनके कार्य नैतिक रूप से उचित थे।
    - यदि अभयिक्त मानसकि रूप से पीडति है और अपने कृत्य की आपराधकिता को समझने में असमर्थ है।

## बच्चन सहि मामले के बाद कसि प्रकार से उग्र और शमनकारी परस्थितियाँ उत्पन्न हुईं?

- **अभ्युक्त की आयु:** [\[1973-1974\]](#) [\[1974-1975\]](#) [\[1975-1976\]](#) [\[1976-1977\]](#) [\[1977-1978\]](#), 2012 तथा [\[1978-1979\]](#) [\[1979-1980\]](#) [\[1980-1981\]](#), 2011 जैसे मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने **अभ्युक्त की आयु (30 वर्ष से कम)** को एक मज़बूत नविकारक कारक माना, तथा उनमें सुधार की संभावना पर विश्वास किया।
  - [\[1978-1979\]](#) [\[1979-1980\]](#) [\[1980-1981\]](#) [\[1981-1982\]](#) [\[1982-1983\]](#) [\[1983-1984\]](#), 2013 में, सर्वोच्च न्यायालय ने उन मामलों में अंतर करके सजा की **व्यक्तिपरक प्रकृति पर प्रकाश डाला जहाँ आयु एक कम करने वाला कारक था।**
    - वर्ष 2015 में जारी 262<sup>वाँ</sup> वधिआयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अपराध को कम करने वाले कारक के रूप में आयु का प्रयोग बहुत असंगत रूप से किया गया है।
- **अपराध की प्रकृति:** उच्चतम न्यायालय ने मच्छी सहि बनाम पंजाब राज्य मामले, 1983 में नरिणय दिया था कि मृत्युदंड तब दिया जा सकता है जब समाज की "सामूहिक अंतरात्मा (Collective Conscience)" इतनी कषुब्ध हो कि न्यायपालिका से इसे लागू करने की अपेक्षा की जाती है।
  - इसने अपराधी की परस्थितियों और सुधार की संभावना की तुलना में अपराध की प्रकृति पर अधिक ज़ोर देने की ओर बदलाव को चहिनति किया।
- **सुधार की संभावना:** [\[1973-1974\]](#) [\[1974-1975\]](#) [\[1975-1976\]](#) [\[1976-1977\]](#) [\[1977-1978\]](#) [\[1978-1979\]](#), 2009 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय को स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि दोषी सुधार या पुनर्वास के लिये अयोग्य क्यों है।
  - 262<sup>वाँ</sup> वधिआयोग की रिपोर्ट, 2015 में बरयार मामले में साक्ष्य की आवश्यकता को सजा सुनाने में नषिपक्षता के लिये "आवश्यक" बताया गया है।
- **मुकदमे का चरण:** बचन सहि मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि अदालतों को दोषसिद्धि के बाद एक अलग मुकदमा चलाना चाहिये ताकि इस बात पर "वास्तविक, प्रभावी और सार्थक सुनवाई" हो सके कि मृत्युदंड क्यों नहीं दिया जाना चाहिये।
  - [\[1973-1974\]](#) [\[1974-1975\]](#) [\[1975-1976\]](#) [\[1976-1977\]](#) [\[1977-1978\]](#) [\[1978-1979\]](#), 2020 में, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उचित सुनवाई का अभाव मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का एक वैध कारण था।

## मृत्युदंड क्या है?

- **मृत्युदंड:** मृत्युदंड (Capital punishment), भारतीय न्यायिक प्रणाली में सजा का सबसे कठोर रूप है क्योंकि इसमें अन्य प्रकार की सजाओं की तरह नषिपादन के बाद परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
  - इसमें राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को गंभीर अपराधों के लिये दंड स्वरूप मृत्युदंड दिया जाता है।
- **कानूनी ढाँचा:** भारत में मृत्युदंड भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और अन्य वशिष कानूनों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।
  - BNS बलात्संग से मृत्यु (धारा 66), नाबालगिों के साथ सामूहिक बलात्संग (धारा 70(2)), बार बार बलात्संग (धारा 71) और अन्य अपराधों के लिये मृत्युदंड का प्रावधान करता है।
  - मृत्यु दंड योग्य अपराधों में हत्या (धारा 302), आतंकवाद ( UAPA, 1967 ) और NDPS अधिनियम, 1985 के तहत कुछ मादक पदार्थों की तस्करी के अपराध शामिल हैं।

## मृत्युदंड से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के कौन से फैसले हैं?

- [\[1973-1974\]](#) [\[1974-1975\]](#) [\[1975-1976\]](#), 1972: सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की संवैधानिकता को बरकरार रखा तथा नरिणय दिया कि यदि उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए तथा संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन न किया जाए तो मृत्युदंड दिया जा सकता है।
- [\[1973-1974\]](#) [\[1974-1975\]](#) [\[1975-1976\]](#), 2014: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि मृत्युदंड के नषिपादन में अधिक वलिंब, सजा को आजीवन कारावास में बदलने का एक वैध आधार हो सकता है।
- [\[1973-1974\]](#) [\[1974-1975\]](#) [\[1975-1976\]](#) [\[1976-1977\]](#) [\[1977-1978\]](#) [\[1978-1979\]](#), 2022: सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी की परस्थितियों की गहन जाँच का आदेश दिया और सज़ा सुनाने के लिये संतुलित दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।
- मृत्युदंड पर [\[1973-1974\]](#) [\[1974-1975\]](#) [\[1975-1976\]](#) [\[1976-1977\]](#) [\[1977-1978\]](#) [\[1978-1979\]](#), 2022: [\[1973-1974\]](#) [\[1974-1975\]](#) [\[1975-1976\]](#) [\[1976-1977\]](#) [\[1977-1978\]](#) [\[1978-1979\]](#) रटि में सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी की मृत्युदंड के खिलाफ बहस करने हेतु "सार्थक अवसर" देने के मुद्दे को नषिपक्ष सुनवाई के क्रम में पाँच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष भेजा।

## मृत्युदंड पर वधिआयोग का क्या दृष्टिकोण है?

- 35<sup>वाँ</sup> रिपोर्ट, 1967: वर्ष 1967 में वधिआयोग की 35<sup>वाँ</sup> रिपोर्ट में मृत्युदंड का समर्थन किया गया।
- 187<sup>वाँ</sup> रिपोर्ट, 2003: वर्ष 2003 में वधिआयोग की 187<sup>वाँ</sup> रिपोर्ट में सज़ा सुनाने में प्रक्रियागत खामियों को स्वीकार किया गया, हालांकि इसमें इसे समाप्त करने की वकालत नहीं की गई।
- 262<sup>वाँ</sup> रिपोर्ट, 2015: वर्ष 2015 में वधिआयोग की 262<sup>वाँ</sup> रिपोर्ट में आतंकवाद और संबंधित अपराधों को छोड़कर सभी अपराधों के लिये मृत्युदंड को समाप्त करने का आह्वान किया गया था।

## वश्व भर में मृत्युदंड की स्थिति

- वर्ष 2022 के अनुसार **55 देशों में मृत्युदंड** का प्रावधान है जिनमें से **9 देशों ने** इसे सबसे गंभीर अपराधों जैसे **हत्याओं या युद्ध अपराधों** के संदर्भ में लागू करने का प्रावधान किया है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका** और **जापान** ही ऐसे **उन्नत औद्योगिक लोकतंत्र** हैं जहाँ अभी भी मृत्युदंड का प्रचलन है।
- वर्ष 2022 तक **112 देशों ने** मृत्युदंड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है जबकि **वर्ष 1991 में यह संख्या 48** थी।
  - वर्ष 2022 में **कज़ाखस्तान, पापुआ न्यू गिनी, सौरा लियोन** और मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जबकि **इक्वेटोरियल गिनी** और जाम्बिया ने इसे सबसे गंभीर अपराधों तक सीमित कर दिया।
- इस तरह के मामलों में **91%** हस्तिसेवारी **पाँच देशों (चीन, ईरान, पाकस्तान, सूडान और संयुक्त राज्य अमेरिका)** की रही।

## नषिकर्ष

मृत्युदंड पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले **अपराधों की गंभीरता तथा सुधार की संभावना** दोनों को शामिल करने के लिये विकसित हुए हैं जसमें सज़ा में नषिपक्षता पर प्रमुख ध्यान दिया गया है। न्यायालय ने **दोनों कारकों** पर विचार करते हुए एक **संतुलित दृष्टिकोण** पर बल दिया है।

**दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:**

**प्रश्न:** भारत में मृत्युदंड पर सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण के विकास का विश्लेषण कीजिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

**प्रश्न:** मृत्यु दंडादेशों के लघूकरण में राष्ट्रपति के वलिंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान (डनियल) के रूप में लोक वाद-वविाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिये एक समय सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये? विश्लेषण कीजिये। (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/mitigating-and-aggravating-circumstances-in-death-penalty>